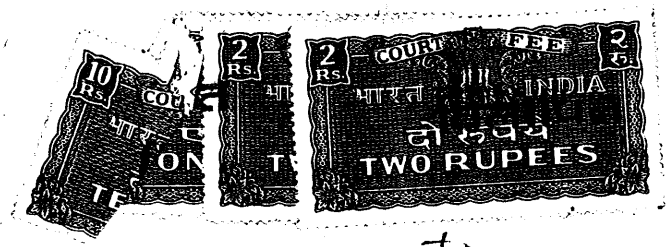

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

82

गोकुल प्रसाद बादल तनय स्व0श्री शालिगराम बादल निवासी पुरानीपुरा टीकमगढ तह0 व जिला-टीकमगढ (म0प्र0)

..निगराकार/आवेदक

बनाम

(1) सुरेश कुमार बादल तनय स्व0श्री मदनमोहन बादल निवासी ईदगाह के पास टीकमगढ तहसील व जिला-टीकमगढ (म0प्र0) एवं वर्तमान पता मकान नं. बी/621 ब्लाक-1 यमुना बिहार एन.टीपी.सी. जमनीपाली जिला कोरबा (छत्तीसगढ)

(2) म0प्र0शासन

..प्रतिनिगराकार/अनावेदकगण

R 1410-II/08

श्री सुरेश श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा आज दि0 3-11-08 को प्रस्तुत।

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर सागर संभाग सागर(म0प्र0) में अपील प्र0क्र0/ 216/अ-6/2006-07 मे पारित आदेश दिनांक 23.9.2008 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

महोदय,

निगराकार गोकुल प्रसाद बादल अपनी निगरानी निम्न विधि बिन्दुओ पर प्रस्तुत कर रहा है।

(1) यह कि प्रति निगराकार/अनावेदक सुरेश कुमार बादल के द्वारा प्रथम अपील साढे सात वर्ष पश्चात विलंब के साथ अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अनुविभा0 अधिकारी टीकमगढ के यहां पर प्रस्तुत की थी जो गलत तथ्यो पर आधारित थी क्योकि नामान्तरण पंजी क्र0-24 दिनांक 2.1.2000 की प्रथम सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित सुरेश कुमार के द्वारा दिनांक 26.8.2004 को ली गयी थी। इस तरह प्रति निगराकार/अनावेदक क्र0-1 को जानकारी 26.8.2004 से थी। परन्तु तत्समय सुरेश कुमार बादल और निगराकार एक ही परिवार के होने से उन्हें पारिवारिक लेख दिनांक 24.9.2002 का बताया गया था। जिस पर उनकी मां जानकी बाई वेवा एवं सुरेश कुमार के हस्ताक्षर है। और उक्त लेख के मुताबिक प्रश्नाधीन भूमि निगराकार गोकुल प्रसाद की है। इस कारण सुरेश कुमार ने अपील नही की थी। तत्पश्चात सुरेश कुमार की नियत में खोट आयी और उन्होने दिनांक 26.8.2004 की नकल को छुपाते हुये द्वितीय प्रमाण सत्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1410/II/2008 निगरानी | जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.श्रीवास्तव द्वारा यह निगरानी आयुक्त सागर,सभांग सागर के प्रकरण कमांक 216/अ/6/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 23-9-2008 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि,ग्राम नयाखेरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 439 रकवा 6.44, खसरा नम्बर 440 रकवा 0.16, खसरा नम्बर 441 रकवा 6.58, हैक्टर भूमि पर नामान्तरण पंजी कमांक-24 दिनांक 2-1-1998 के द्वारा आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 10/अपील/2005-06 पर दर्ज की जाकर दिनांक 28-2-2007 को अवधि वाह्य होने से निरस्त की गई। जिसकी अपील आयुक्त के समक्ष होने पर प्रकरण कमांक 216/अ/6/2006-07 पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक 23-9-2008 पारित कर अपील समय सीमा में मान्य कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया। आवेदक द्वारा आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि,अनावेदक कमांक–1 द्वारा प्रथम अपील साढे सात वर्ष वाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो कि गलत तथ्यों पर आधारित थी क्यों कि नामान्तरण पंजी कमांक–24 दिनांक 2–1–1998 की प्रथम सत्य प्रतिलिपि अनावेदक सुरेश के द्वारा दिनांक 26–8–2004 को ली गयी थी। इस कारण अनावेदक कमांक–1 को जानकारी 26–8–2004 से ही थी।

उनका तर्क यह भी है कि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 28–2–2007 को गुण–दोष पर प्रकरण का निराकरण नहीं किया है। इस कारण द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अनावेदक कमांक–1 को कलेक्टर महोदय के समझ निगरानी प्रस्तुत करना चाहियें जो नहीं की गयी। जिसे अनदेखा कर आयुक्त महोदय ने जो विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर, निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक कमांक–1 सूचना उपरान्त अनुपस्थित। अनावेदक कमांक–2 की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके द्वारा आयुक्त का आदेश उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी कमांक–24

दिनांक 2–1–1998 के द्वारा आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक–1 ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 28–2–2007 को अवधि वाह्य होने से निरस्त की गई। जिसकी अपील आयुक्त के समझ होने पर आदेश दिनांक 23–9–2008 पारित कर अपील समय सीमा में मान्य कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक–1 ने अपील आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि, अपीलार्थी के पिता मदनमोहन उर्फ मदनगोपाल के नाम ग्राम नयाखेरा में खसरा नम्बर 439 रकवा 6.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकवा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 441 रकवा 6.58, हैक्टर भूमि रही है। मदनमोहन उर्फ मदनगोपाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रतिपक्ष गोकुल प्रसाद ने खसरा पंचशाला में अवैधानिक प्रविष्टि करा ली है। अनावेदक कमांक–1 का यह भी लेख है कि खसरे मे नामान्तरण पंजी कमांक 24 दिनांक 18–9–96 का गलत उल्लेख किया गया है। उक्त आशय के आदेश की प्रतिलिपि उसे प्राप्त नहीं हुई है उसे प्रतिलिपि नामान्तरण पंजी कमांक–24 दिनांक 2–1–98 की प्रदाय की गई। जिस पर विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कमांक–1 की अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त की, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को आयुक्त द्वारा निरस्त करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस कारण आयुक्त का ओदश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की

जाकर, आयुक्त सागर,सभांग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 216/अ/6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23–9–2008 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर